

“प्ररूप 6क
(नियम 8ख देखें)

किसी प्रवासी निर्वाचक द्वारा निर्वाचक नामावली में नाम सम्मिलित किए जाने के लिए आवेदन

सेवा में,

निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण आफिसर
..... समा/संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र
..... जिला
..... भारत का राज्य

इस खाने के भीतर पूर्ण मुख को दर्शित करने वाला (3.5 से.मी.) का हाल ही में खींचा गया पासपोर्ट आकार का फोटो चिपकाने के लिए स्थान

महोदय,

मैं प्रार्थना करता हूँ कि उक्त निर्वाचन-क्षेत्र के लिए, जिसमें नीचे मद 1(ज) में प्रस्तुत विशिष्टियों के अनुसार मेरा निवास स्थान अवस्थित है, निर्वाचक नामावली में मेरा नाम सम्मिलित कर लिया जाए।

भाग - क

निर्वाचक नामावली में सम्मिलित किए जाने के लिए मेरे दावे के समर्थन में विशिष्टियां नीचे दी गई हैं :

- (क) नाम.....
(ख) मध्य नाम.....
(ग) उप नाम.....
(घ) जन्म की तारीख दिन मास वर्ष
(ङ) लिंग (पुरुष / स्त्री)
(च) जन्म का स्थान -
(i) ग्राम/नगर.....
(ii) जिला.....
(iii) राज्य.....

(छ) पिता / माता/ पति का ब्यौरा

- (i) नाम.....
(ii) मध्य नाम.....
(iii) उपनाम.....

(ज) भारत में मामूली तौर पर निवास का स्थान (पासपोर्ट में दिए गए अनुसार पूरा पता)

- (i) मकान/गृह सं.....
(ii) गली/क्षेत्र/ पश्चिम/ मोहल्ला/ सड़क.....
(iii) नगर/ ग्राम.....
(iv) डाकघर.....
(v) पिन कोड

(इ) पासपोर्ट का ब्यौरा -

- (i) पासपोर्ट संख्या
- (ii) वर्तमान भारतीय पासपोर्ट के जारी होने का स्थान.....
- (iii) वर्तमान भारतीय पासपोर्ट के जारी होने की तारीख.....
- (iv) वर्तमान भारतीय पासपोर्ट के अवसान की तारीख.....

{ उपर मद् (क) से (इ) में वर्णित विशिष्टियों को अंतर्विष्ट करने वाले पासपोर्ट के सुसंगत पृष्ठों की - यदि डाक द्वारा भेजा जाता है तो भारतीय मिशन द्वारा अनुप्रमाणित प्रतियों को और यदि व्यक्तिगत रूप से रजिस्ट्रीकरण आफिसर के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है तो प्रतियों के साथ मूल पासपोर्ट के साथ संलग्न करें };

(ज) वर्तमान निवास के देश के वीजा का ब्यौरा -

- (i) वीजा संख्या
- (ii) वीजा का प्रकार (एकल प्रवेश/बहुविध प्रवेश/ पर्यटक/ कार्य वीजा आदि)
- (iii) वीजा के जारी होने की तारीख
- (iv) वीजा के जारी होने का स्थान.....
- (v) वीजा के अवसान की तारीख
- (vi) जारी कर्ता प्राधिकारी का नाम

{ उपर उल्लिखित वर्तमान विधिमाम्य वीजा पृष्ठों को अंतर्विष्ट करने वाले पासपोर्ट के सुसंगत पृष्ठों की - यदि डाक द्वारा भेजा जाता है तो भारतीय मिशन द्वारा अनुप्रमाणित प्रतियों को और यदि व्यक्तिगत रूप से रजिस्ट्रीकरण आफिसर के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है तो प्रतियों के साथ मूल पासपोर्ट के साथ संलग्न करें };

2. भारत में मामूली तौर से निवास के स्थान से अनुपस्थिति का वर्णन.....

(क) भारत में मामूली तौर पर निवास के स्थान से अनुपस्थित होने का कारण - (i) नियोजन/ (ii) शिक्षा/ (iii) अन्य (विवरण दें)

.....

(ख) वह तारीख जिससे भारत में मामूली तौर पर निवास से अनुपस्थित रहा है ।

..... (दिन/मास/वर्ष)

3. भारत से बाहर के देश का पूर्ण आवासीय घंटा, जहां वह वर्तमान में निवास कर रहा है,.....

..... ।

4. भारत से बाहर के देश का पूर्ण शासकीय पता जहां वह वर्तमान में निवास कर रहा है (नियोजन या शैक्षणिक संस्था, जहां वह अध्ययन कर रहा है, के स्थान का पता).....
..... ।

5. घोषणा - मैं घोषणा करता हूँ कि मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार -

- (क) इस आवेदन में दी गई संपूर्ण जानकारी सत्य है ।
 (ख) मैं जन्म से/अधिवास से /देशीयकरण द्वारा भारत का नागरिक हूँ ।
 (ग) मैंने किसी अन्य देश की नागरिकता अर्जित नहीं की है ।
 (घ) किन्तु उम्र 2(क) में दिए गए कारण से भारत में मेरे मामूली निवास के स्थान से अनुपस्थित होने के कारण, मैं मेरे भारतीय पासपोर्ट में दिए गए पते पर मामूली तौर पर निवासी रहूंगा, जिसे उम्र 1(छ) में उद्धृत किया गया है ।
 (ङ) मैं मेरे द्वारा भारतीय नागरिकता का त्याग किए जाने या मेरे द्वारा किसी अन्य देश की नागरिकता अर्जित किए जाने पर मेरे वर्तमान निवास के देश में भारतीय मिशन के माध्यम से निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण आफिसर को तत्काल सूचित करने का वचन देता हूँ ।
 (च) मेरे निवास के देश में मेरे निवास के पते में कोई परिवर्तन होने पर निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण आफिसर के अभिलेख के लिए मैं मेरे वर्तमान निवास के देश में भारतीय मिशन के माध्यम से निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण आफिसर को तत्काल सूचित करने का वचन देता हूँ । मैं यह जानता हूँ कि मेरे निवास पर भेजा गया कोई नोटिस, जो कि निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण आफिसर के अभिलेख के अनुसार मेरे वर्तमान निवास के देश में मेरे निवास का पता है, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन मुझे नोटिस की सम्यक तामील समझी जाएगी, और यह मेरा उत्तरदायित्व है कि मेरे वर्तमान निवास के देश में मेरे अद्यतन निवास के पते की सूचना मैं निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण आफिसर को देता रहूँ ।
 (छ) यदि मैं भारत वापस लौटता हूँ और भारत में मामूली तौर पर निवासी हो जाता हूँ, तो मैं संबंधित विधान सभा/संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण आफिसर को तत्काल सूचित करूंगा ।
 (ज) मैंने किसी अन्य निर्वाचन-क्षेत्र की निर्वाचक नामावली में मेरा नाम सम्मिलित किए जाने के लिए आवेदन नहीं किया है ।
 (झ) इस या किसी अन्य निर्वाचन-क्षेत्र में मेरा नाम पहले सम्मिलित नहीं किया गया है ।

या
 मेरा नाम.....राज्य के.....निर्वाचन-क्षेत्र के, जिसमें मैं नीचे उल्लिखित पते पर पहले से ही मामूली तौर से निवास कर रहा था, निर्वाचक नामावली में सम्मिलित किया जा सकता और यदि ऐसा है तो मैं प्रार्थना करता हूँ कि उसे उस निर्वाचक नामावली से हटा दिया जाए या स्थानांतरित कर दिया जाए, जैसा भी उपयुक्त हो ।

पूरा पता (मामूली तौर से निवास का पूर्व स्थान).....

निर्वाचक फोटो पहचान पत्र संख्यांक (यदि जारी किया गया है)..... जारी करने की तारीख

- (ञ) मुझे भारत में निर्वाचक फोटो पहचान पत्र जारी नहीं किया गया है/ निर्वाचक फोटो पहचान पत्र जारी किया गया है जो निरस्तीकरण के लिए इस आवेदन के साथ संलग्न है ।

हस्ताक्षर.....

स्थान.....

तारीख.....

भाग-ख

(निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण आफिसर के कार्यालय में प्रयोग के लिए)

.....(दिन/मास/वर्ष) को आवेदन प्राप्त हुआ
 श्री/श्रीमती/कुमारी..... का प्ररूप 6क में आवेदन :-

(क) स्वीकार कर लिया गया है और उसके नाम को..... (निर्वाचन क्षेत्र) की निर्वाचक नामावली के भाग सं. में क्रम सं. पर सम्मिलित कर लिया ।

(ख) नामजूर करने के विस्तृत कारण.....

तारीख.....

[निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण आफिसर]

..... छिद्रण.....

भाग - ग

आवेदन की अभिस्वीकृति

(जब व्यक्तिगत रूप से रजिस्ट्रीकरण आफिसर को प्रस्तुत किया जाए)

प्ररूप 6क में श्री/श्रीमती/कुमारी..... पता..... का आवेदन प्राप्त हुआ ।

तारीख.....

सत्यापन करने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर.....
 पता....." ।

[फा. सं. एच-7(18)/98-बि. 2(जिल्द 4)]

एन. कं. नम्पूथिरी, अपर सचिव

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण में अधिसूचना संख्यांक का.आ. 2750(अ), तारीख 11 नवम्बर 1960 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और इन्हें अंतिम बार अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1219(अ), तारीख 15 मई, 2009 द्वारा संशोधित किया गया ।

प्ररूप 6क में आवेदन भरे जाने के लिए मार्गदर्शक सिद्धान्त

साधारण अनुदेश

प्ररूप 6क किसके द्वारा भरा जा सकता है

1. विदेश में रहने वाला भारत का प्रत्येक ऐसा नागरिक, जिसने किसी विदेश की नागरिकता अर्जित नहीं की है और वर्ष की 1 जनवरी को 18 वर्ष की आयु पूरी कर ली है, उस अवस्थान से, जिसमें उसके पासपोर्ट में यथाउल्लिखित भारत में उसका निवास स्थान अवस्थित है, संबंधित निर्वाचन-क्षेत्र की नामावली में रजिस्ट्रीकरण के लिए प्ररूप 6क में आवेदन कर सकता है। प्ररूप 6क में आवेदन को संबंधित रजिस्ट्रीकरण आफिसर के समक्ष प्रस्तुत किया जा सकता है।

2. आवेदक ने वर्ष की 1 जनवरी को अठारह वर्ष की आयु पूरी कर ली हो। उदाहरणार्थ, यदि निर्वाचक नामावली में नाम को सम्मिलित करने के लिए आवेदन 1-1-2011 की अर्हक तारीख के प्रतिनिर्देश से है, तो आवेदक द्वारा 1-1-2011 को 18 वर्ष की आयु पूरी कर ली गई हो।

प्ररूप 6क में आवेदन को कहां प्रस्तुत किया जाए

3. आवेदन को उस निर्वाचन क्षेत्र के, जिसके भीतर विधिमान्य पासपोर्ट में दिए गए अनुसार आवेदक के मामूली निवास का स्थान आता है, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण आफिसर (इआरओ) को सीधे प्रस्तुत किया जाना चाहिए। प्ररूप 6क में आवेदन को इआरओ को व्यक्तिगत रूप से प्रस्तुत किया जा सकता है या संबंधित इआरओ के डाक पते पर भेजा जा सकता है।

[भारत के सभी निर्वाचन क्षेत्रों के इआरओ की विशिष्टियां और डाक पते भारत निर्वाचन आयोग की वेबसाइट (<http://eci.nic.in>) पर देखी जा सकती हैं]

संलग्न किए जाने वाले दस्तावेज

4. आवेदक के पूर्ण मुख को दर्शित करने वाला एक हाल ही में खींचा गया आवेदक का पासपोर्ट आकार का एक रंगीन फोटो चिपकाएँ, जिसकी पृष्ठभूमि हल्के रंग (अधिमानत: सफेद) की हो।

5. प्ररूप 6क के सभी स्तंभ भरें। विधिमान्य भारतीय पासपोर्ट में दिए गए अनुसार अपना नाम और अन्य विशिष्टियां लिखें।

6. यदि आवेदन डाक द्वारा भेजा जाता है तो इसके साथ आवेदक के फोटो और अन्य सभी विशिष्टियां अन्तर्विष्ट करने वाले पासपोर्ट के सुसंगत पृष्ठों और विधिमान्य वीजा पृष्ठांकन अन्तर्विष्ट करने वाले पृष्ठ की फोटो प्रतियां संलग्न की जानी चाहिए। ये फोटो प्रतियां भारतीय मिशन के किसी सक्षम पदधारी द्वारा सम्यक् रूप से अनुप्रमाणित होनी चाहिए। इन दस्तावेजों की अनुप्रमाणित फोटो प्रतियों के बिना भेजे गए आवेदन सीधे नामंजूर किए जाने के दायीं होंगे।

7. यदि आवेदन को व्यक्तिगत रूप से इआरओ के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है तो आवेदन के साथ उसर यथाउल्लिखित पासपोर्ट के सुसंगत पृष्ठों की फोटो प्रतियां संलग्न की जानी चाहिए। रजिस्ट्रीकरण आफिसर द्वारा सत्यापन के लिए आवेदन के साथ मूल पासपोर्ट भी प्रस्तुत किया जाना चाहिए। सत्यापन के तुरन्त पश्चात् पासपोर्ट को लौटा दिया जाएगा।

मतदान

8. यह उल्लेखनीय है कि आप के नामांकन के पश्चात्, आप निर्वाचन क्षेत्र में मतदान करने में उस समय समर्थ होंगे यदि आप मतदान के दिवस को अपने मूल पासपोर्ट के साथ मतदान केन्द्र में स्वयं उपस्थित हैं।

“FORM 6A
(see rule 8B)

Application for inclusion of name in electoral roll by an overseas elector

To

The Electoral Registration Officer,
-----Assembly/Parliamentary
Constituency

District.....
State in India.....

Space for pasting one recent passport size photograph (3.5×3.5CM) showing frontal view of full face within this box

Sir,

I request that my name be included in the electoral roll for the Constituency in which my place of residence, as per the particulars furnished below in item 1(h), is located.

PART - A

Particulars in support of my claim for inclusion in the electoral roll are given below:

- (a) Name -
- (b) Middle Name.....
- (c) Surname
- (d) Date of Birth: --- Day---Month---Year
- (e) Sex(Male/Female).....
- (f) Place of Birth -
- (i) Village/Town.....
- (ii) District.....
- (iii) State.....
- (g) Father's/Mother's/Husband's detail
- (i) Name -.....
- (ii) Middle Name.....
- (iii) Surname.....
- (h) Place of Ordinary Residence in India (Full Address as given in the Passport)
- (i) House/Door number.....
- (ii) Street/Area/Locality/Mohalla/Road.....
- (iii) Town/Village.....
- (iv) Post Office.....
- (v) Pin Code.....
- (vi) Tahsil/Taluka/Mandal/Thana.....
- (vii) District.....
- (i) Passport Details -
- (i) Passport Number.....
- (ii) Place of Issue of current Indian Passport.....

- (iii) Date of Issue of current Indian passport.....
- (iv) Date of expiry of current Indian passport.....

{Copies of the relevant pages of the passport containing the particulars mentioned at items (a) to (i) above to be enclosed—attested by the Indian Mission if sent by post and produced with the original passport if presented in person before the registration officer}

- (j) Details of Visa of the Country of current residence—
- (i) Visa Number.....
- (ii) Type of Visa (Single Entry/Multiple Entry/Tourist/Work Visa etc.).....
- (iii) Date of issue of Visa.....
- (iv) Place of issue of Visa.....
- (v) Date of expiry of Visa.....
- (vi) Name of the Issuing Authority.....

{Copies of the relevant pages of the passport containing the current valid visa endorsement mentioned above to be enclosed—attested by the Indian Mission if sent by post and produced with the original passport if presented in person before the registration officer}

2. Description of Absence from Place of Ordinary Residence in India-
- (a) Reason of being absent from the place of ordinary residence in India- (i) employment/ (ii) education/ (iii) other(Give Description).....
- (b) Date from which absenting from ordinary residence in India..... (DD/MM/YYYY)
3. Full residential address in the country outside India where currently residing.....
4. Full Official address in the country outside India currently residing (address of the place of employment or the education institution where studying).....
5. Declaration - I hereby declare that to the best of knowledge and belief—
- (a) all information given in this application is true.
- (b) I am a citizen of India by birth/ domicile/ naturalisation.
- (c) I have not acquired citizenship of any other country.
- (d) But for being absent from the place of my ordinary residence in India owing to the reason given in 2(a) above, I would have been ordinarily resident at the address given in my Indian Passport, which has been reproduced at 1(g) above.
- (e) I undertake to immediately inform the Electoral Registration Officer through the Indian Mission in the Country of my

387 96/11-4

- current residence if I renounce my Indian Citizenship or if I acquire the citizenship of any other country.
- (f) I undertake to immediately inform the Electoral Registration Officer through the Indian Mission in the country of my current residence of any change in my residential address in the country of my residence for the records of the Electoral Registration Officer. I understand that any notice sent to me at the address, which is my residential address in the country of my current residence according to the records of the Electoral Registration Officer, shall be considered as due service of notice to me under the Representation of the People Act, 1950 and the rules made thereunder, and that it is my responsibility to keep the Electoral Registration Officer informed of my latest residential address in the country of my current residence.
- (g) If I return to India and become ordinarily resident in India, I shall immediately inform the Electoral Registration Officer of the concerned Assembly/Parliamentary Constituency.
- (h) I have not applied for inclusion of my name in the electoral roll of any other constituency.
- (i) My name has not already been included in this or any other constituency.

Or

My name may have been included in the electoral roll of Constituency in..... State in which I was ordinarily resident earlier at the address mentioned below and, if so, I request that the same may be deleted from that electoral roll, or transposed, as may be appropriate.

Full address (Earlier place of ordinary residence).....

Elector Photo Identity Card (if issued) number
date of issue.....

- (j) I have not been issued an EPIC in India/ have been issued an EPIC which is enclosed with this application for cancellation.

Signature.....
Place.....
Date.....

PART – B

(For use in the office of Electoral Registration Officer)

Application received on (DD/MM/YYYY)
The application in Form 6A of Shri/Shrimati/Kumari.....has
been :-

- (a) Accepted and the name has been registered in the electoral roll of
... (constituency) at S.No..... Part No.....
- (b) Rejected for the reason.....

Date.....

[Electoral Registration Officer].

.....perforation.....

PART - C**Acknowledgement for Application**
(When presented in person to the registration officer)Received the application in Form 6A of
Shri/Shrimati/Kumari _____
Address _____

Date _____

Signature of the Verifying Officer _____

Address _____

[F.No. H-7(18)/98-Leg. II (Vol. IV)]

N. K. NAMPOOTHIRY, Addl. Secy.

Note— The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, *vide* notification number S.O. 2750(E) dated the 11th November, 1960 and last amended *vide* number S.O.1219(E) dated the 15th May, 2009

GUIDELINES FOR FILLING UP THE APPLICATION FORM-6A**General Instructions****Who can file Form-6A**

1. Every citizen of India staying in a foreign country, who has not acquired citizenship of a foreign country, and has completed 18 years of age as on 1st January of the year, can make an application in Form 6A for being registered in the roll for the constituency pertaining to the locality in which his place of residence in India as mentioned in the passport is located. The application in Form 6A can be presented to the registration officer concerned.

2. The applicant should have completed eighteen years of age as on 1st January of the year. For example, if the application is for inclusion of name in the electoral roll with reference to 01-01-2011 as the qualifying date, the applicant should have completed 18 years of age as on 01-01-2011.

Where to submit the application in Form-6A

3. The application should be submitted directly to the Electoral Registration Officer (ERO) of the constituency within which the place of ordinary residence of the applicant as given in the valid passport falls. The Application in Form 6A can be presented in person to the ERO or sent by post addressed to the ERO concerned.

[The particulars and postal address of the EROs of all the constituencies of India can be seen on the website of Election Commission of India (<http://eci.nic.in>)]

Documents to be attached

4. Paste one recent passport size coloured photograph with a light background (preferably white) showing the full face of the applicant.

5. Fill in all the columns in Form-6A. Write your name and other particulars as given in the valid Indian Passport

6. If application is sent by post, it should be accompanied by photo-copy of the relevant pages of the passport containing the photograph and all other particulars of the applicant and the page containing the valid visa endorsement. **These photo-copies should be got duly attested by the competent official in the Indian Mission.** Applications without the attested photo-copies of these documents will be liable to be summarily rejected.

7. If the application is submitted in person before the ERO, the application should be accompanied by a photo-copy of the relevant pages of the passport as mentioned above. The original passport should also be produced alongwith the application for verification by the registration officer. The passport will be returned immediately after verification.

Voting

9. It may be noted that after your enrolment, you will be able to cast vote in election in the constituency, if you are physically present in the polling station alongwith your original passport on the day of poll.